रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1981/माघ 18, 1902
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1981/MAGHA 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
Part II—Sec. 3—Sub-Sec. (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1980

का. आ. 494.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए, गोवा, दमन और दीव के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 23 नवेलिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बेग फकीर अदम, रतवाडो नवेलिम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बेग फकीर अदम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि. स./23/80 (3)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 28th October, 1980

S.O. 494.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Beig Fakir Adam, Ratvaddo, Navelim (Goa), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in January, 1980 from 23-Navelim Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Beig Fakir Adam to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/23/80(3)]

का. आ. 495.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा, दमन और दीव के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 23-नवेलिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सेमुंदो वेनीदिती फ्रांसिस्को, 73 डोजारिम नवेलिम सलसेट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा

स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री तुमेदो बेनीदितो फ्रांसिको को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि. स./23/80 (4)]

S.O. 495.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Temudo Benedito Francisco, 73, Dongorim, Navelim Saleote, Goa, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in January, 1980 from 23-Navelim Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Temudo Benedito Francisco to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/23/80(4)]

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1980

का. आ. 496 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा, दमन और दीव के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 29-दमन निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भटहेला माकनभाई मोरारजी, मकान नं. 1709-बी, वेनी आवाड, नानी दमन (गोवा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री माकनभाई मोरारजी भटहेली को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि. स./29/80 (14)]

New Delhi, the 20th November, 1980

SO. 496.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhathela Makanbhai Morarji, House No. 1709-B, Vaniawad, Nani Daman (Goa), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in January, 1980 from 29-Daman Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justificaton for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhathela Makanbhai Morarji to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/29/80(14)]

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1980

का. आ. 497 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए महाराष्ट्र के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 35, लातूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरने लक्ष्मण गोविन्दा मु. निलूर, तालुक नीलन्गा, जिला ओसमानाबाद (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरने लक्ष्मण गोविन्दा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा.—लो. स./35/80 (33)]

New Delhi, the 25th November, 1980

S.O. 497—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Harne Laxman Govinda, At Nitur, Taluka Nilanga, District Osmanabad (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 35-Latur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Harne Laxman Govinda to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-HP/35/80(33)]

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1980

का. आ. 498.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए महाराष्ट्र के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-बम्बई दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कल्याण रामचन्द्र अमरे, घर नं. 142, समता सदन, भण्डारवेडा, मुम्बई-400028 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा/दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कल्याण रामचन्द्र अमरे को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा. लो.स./4/80(34)]

New Delhi, the 28th November, 1980

S.O. 498.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kalyan Ramchandra Amre, H. No. 142, Samta Sadan, Bhandarwada Road, Dadar, Bomby-400028, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 4-Bombay South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kalyan Ramchandra Amre, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-HP/4/80(34)]

का. आ. 499.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए महाराष्ट्र के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-बम्बई दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गणत्रा गोरधनदास हरीदास (बच्चूभाई) मुक्तजी निवास सी. पी. टैंक रोड, माधव बागसमोर पहला तल, बम्बई-400004 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गणत्रा गोरधनदास हरीदास (बच्चूभाई) को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा. लो.स./4/80(35)]

S.O. 499.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ganatra Gordandas Haridas (Bachubhai), Mulji Niwas, C. P. Tank Road, Opp. Madhav Bang, 1st Floor, Bombay-400004, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 4-Bombay South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ganatra Gordandas Haridas (Bachubhai) to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-HP/4/80(35)]

का. आ. 500.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए महाराष्ट्र के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-बम्बई दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गांधी मथूरादास रतीलाल, 24-एच.डी. कपोल निवास, खेतीवाड़ी फोर्थ गल्ली, बम्बई-400004 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गांधी मथूरादास रतीलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा. लो.स./4/80(36)]

S.O. 500.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gandhi Mathuradas Ratilal, 24, H. D. Kapole Niwas, Khetwadi, 4th Lane, Bombay-400004, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 4-Bombay South Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gandhi Mathuradas Ratilal, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-HP/4/80(36)]

का. आ. 501 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए महाराष्ट्र के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-बम्बई दक्षिण निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती शकुन्तला देवी, फ्लैट क्यू-3, पाम स्प्रिंग्ज कफपरेड ले. कर्नल, प. मार्ग बम्बई-400004 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती शकुन्तला देवी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा. लो.स./4/80(37)]

S.O. 501.—Whereas the Election Commission is satisfied that Smt. Shakuntla Devi, Flat Q-3, Palm Springs, Cuffe Parade, Lt. Col., Pathe Marg, Bombay-400004, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 4-Bombay South Constituency, has failed to lodge an account of her election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that she has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Smt. Shakuntla Devi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. MT-HP/4/80(37)]

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1981

का. आ. 502 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 2-रत्नगिरि निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भीकाजी विश्राम पवार मुकाम पोमंडी बी. के. डाकघर पोमंडी खुर्द तहसील एवं जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भीकाजी विश्राम पवार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. महा. लो. स./2/80(38)]

New Delhi, the 29th November, 1980

S.O. 502.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhikaji Vishram Powar, At Pomendi Bk, P.O. Pomendi Khurd, Tehsil and District Ratnagiri, (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 2-Ratnagiri Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhikaji Vishram Powar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-HP/2/80(38)]

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1980

का. आ. 503 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा दमन और दीव के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 17-सेनगुएम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बेटीकिकर आनन्द रामनाथ, आनन्द भवन, करकोरम (गोवा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा

स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बेटकिकर आनन्द रामनाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि.स./17/80(18)]

New Delhi, the 11th December, 1980

S.O. 503.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Betkikar Anand Ramnath, Anandbhuvan, Curchorem (Goa), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in January, 1980 from 17 Sanguem Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Betkikar Anand Ramnath to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/17/80(18)]

का. आ. 504 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा दमन और दीव के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 21-कुंकोलिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पाइस एमिटेरिओ नाजारेनो, घर नं. 34, एसोलना सालसेट बीउनसा, कुंकोलिम, सालसेट, गोवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पाइस एमिटेरिओ नाजारेनो को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा.-वि. स./21/80 (19)]

S.O. 504.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Paes Emiterio Nazareno, House No. 34, Assolna Salcete, (Goa), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in January, 1980 from 21-Cuncolim Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Peas Emiterio Nazareno to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/21/80(19)]

का. आ. 505 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा, दमन और दीव के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 26-कोर्टालिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री फर्नान्डिस एंटोनी इनेसिओ मेनिनो, घर नं. 494, गेलिलो कोर्टालिम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री फर्नान्डिस एंटोनी इनेसिओ मेनिनो को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि.स./26/80(20)]

S.O. 505.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Fernandes Antonio Inacio Menino, House No. 494, Galio, Cortalim (Goa), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in January, 1980 from 26-Cortalim Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Fernandes Antonio Inacio Menino to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/26/80(20)]

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1980

का. आ. 506 .—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, सन् 1980 की निर्वाचन अर्जी संख्या 4 में दिए गए बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 24 सितम्बर, 1980 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है ।

[सं. 82/महा./1980 का 4/80]

New Delhi, the 18th Decmebr, 1980

S.O. 506.—In pursuance of section 106 of the representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the order, pronounced on 24th September, 1980, by the High Court of Judicature at Bombay in Election Petition No. 4 of 1980.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY

ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION

Election Petition No. 4 of 1980

Balkrishna Bhaskar Paranjpe. . . Petitioner.

V/s

Yeshwantrao Balwantrao Chavan . . Respondent.

Petitioner in person.

Mr. Ashok Desai with Mr. V. C. Kotval and Miss R. K. Iyer for the respondent.

CORAM : Bharucha J. 24th September 1980

ORAL JUDGEMENT :

Elections to the Lok Sabha were held on 3rd January, 1980 in Satara. The Petitioner and the Respondent were candidates for the 11 Satara Parliamentary Constituency Seat. On 7th January 1980 the respondent was declared elected. On 20th February 1980 the petitioner filed this petition asking that the respondent's election be declared null and void, principally on the ground that his expenses in the election campaign had not been fully declared to the District Election Officer and that he had, in fact, incurred an expenditure in the sum of Rs. 2,39,437.31 P., which exceeded the permissible limit. The petition states that such expenditure was incurred on hand bills, loud speakers, tables, chairs, jeeps, motor cars, lorries, auto-rickshaws, cloth banners, wall posters, voters' slips and volunteers. In paragraph 12 of the petition the petitioner has given a break-up of the alleged expenditure of Rs. 2,39,437.31 P. In the affidavit verifying the petition, the petitioner has stated that the Statements made in the petition are made to his own knowledge as also on information and belief. In the affidavit of particulars, the petitioner has set out the dates and locations of the respondent's public meetings, the name of the source from which lorries were hired by the respondent and their registration numbers, a list of the volunteers, the name of the press at which the respondent's voters' cards were printed, and the registration numbers of the cars and auto-rickshaws hired by the respondent.

In his written statement, after various technical defences, the respondent has stated that all election expenses which he incurred are set out in the statement filed. He has also stated that he had not appointed any election agent. It is contended in the written statement that expenditure incurred or authorised in connection with his election by a political party, or other association or body of persons, or any individual other than himself could not be deemed to be expenditure incurred or authorised by the respondent.

Detailed issues were framed so that what the petitioner appearing in person, would have to prove would be very clear to him.

In the event, the petitioner has proved noting. All that he said in examination-in-chief was that he contested the election not to be elected but to find some act upon which an election petition could be based. His purpose in filing this petition was to remedy the defect in the election law whereby only Rs. 1,00,000 are permitted as election expenses. The respondent had held 20 or more election meetings and these were held at Satara, Wai, Mahad, Phaltan, Koregaon and other places in the constituency. The respondent had distributed 7 lakhs of voters' cards. Nearly 200 lorries brought people to the respondent's election meeting on 16th January 1980, and that he had observed this himself. The respondent had put up 5000 or more cloth banners and 5000 or more wall posters containing different slogans which he had seen at election time. In his short cross-examination, the petitioner stated that he had not seen the respondent distributing the voting cards or putting up posters. According to him, this was done by volunteers.

The respondent has not led any evidence.

In his address, the petitioner read to me some portions of the judgement in Kanwarlal Gupta vs. Amarnath AIR 1975 C. S. 308, but failed to indicate how what he read relevant. He also read to me a copy of an article in a newspaper in regard to some proposed ordinance dealing with election law, That was the sum total of the address.

Mr. Desai pointed out to me that the alleged meeting of 16th January 1980 was irrelevant to this petition because by then the election was over. He also pointed out that a charge of exceeding the permissible election expenses was a charge of corrupt practice, such a charge it had repeatedly been held, was of a quasi-criminal nature and was required to be proved to the hilt.

Far from driving his charge to the hilt, the evidence led by the petitioner has not even, so to say, pricked the skin. There is just no evidence which links the respondent with the trucks, banners, posters and voting cards of which the petitioner has spoken. There is also, not a word on a record to indicate the expenses incurred by the respondent.

Since the petitioner has failed to prove his case on merits, I have not permitted arguments on the technical please raised by the respondent. I answer the issue thus :—

Issues Nos. 1 to 8 : Not urged.

Issues Nos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 25 : In the negative.

Issues No. 24 : In the negative.

In the result : the petitioner is dismissed with costs, quantified at Rs. 1000.

The respondent to recover the said sum of Rs. 1000 out of the moneys deposited by the petitioner in court as security for costs. The balance to be thereafter paid over to the petitioner.

Prothonotary and Senior Master to act on the certified copy of the minutes.

[No. 82/MT/4 of 1980/80]

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1980

का. आ. 507 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा दमन और दीयू के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 3-मंर्मोगोआ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लडने वाले उम्मीदवार श्री गाडेकर, सदानन्द महादेव दुलर ग्जेंटिवेडो वाडे, मापसा गोवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गाडेकर सदानन्द महादेव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि.स./3/80(21)]

New Delhi, the 27th December, 1980

S.O. 507.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gadekar Sadanand Mahadev, Duler, Xetiwaddo-ward, Mapusa, Goa, a contesting candidate for general election to the Goa, Daman & Diu Legislative Assembly held in January, 1980 from 3-Siolin Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gadekar Sadanand Mahadev to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/3/80(21)]

का. आ. 508 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा दमन और दीयू के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 24-मारगोवा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सरमालेकर जितेन्द्रा वासुदेव, मकान नं. 9, कांदा मारगोवा (गोवा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सरमालेकर जितेन्द्रा वासुदेव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि.स./24/80(22)]

S.O. 508.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sarmalkar Jetendra Vassudev, House No. 9, Comba, Margao (Goa), a contesting candidate for general election to the Goa, Daman & Diu Legislative Assembly held in January, 1980 from 24-Margao Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sarmalkar Jetandra Vassudev to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/24/80(22)]

का. आ. 509 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा दमन और दीयू के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 25-करटोरिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डी. कोस्टा जोसेफ कीटन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डी. कोस्टा जोसेफ कीटन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि.स./25/80(23)]

S.O. 509.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri D'Costa Joseph Caitan, House No. 53, Borda, Margao (Goa), a contesting candidate for general election to the Goa, Daman and Diu Legislative Assembly held in January, 1980 from 25-Curtorium Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri D'Costa Joseph Caitan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/25/80(23)]

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1980

का. आ. 510 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए गोवा, दमन और दीयू के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 5-मापूसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नासनीदकर नारायण आन्नत मकान नं. 329, दूलार मापूसा (गोवा) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा/समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नार्नोदकर नारायण आनत को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. गोवा-वि. स. 5/80 (24)]

New Delhi, the 29th December, 1980

S.O. 510.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narnodkar Narayan Anant, House No. 329, Duler Mapusa (Goa), a contesting candidate for general election to the Goa, Daman and Diu Legislative Assembly held in January, 1980 from 5-Mapusa Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narnodkar Narayan Anant to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. Goa-LA/5/80(24)]

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1981

का. आ. 511.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 13 डामथांग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हनुमान दास अग्रवाल, पो. आ. डामथांग, दक्षिणी सिक्किम (गंगटोक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अग्रवाल को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. 76/सिक्किम वि. स./13/80 (1)]

New Delhi, the 13th January, 1981

S.O. 511.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hanuman Das Agarwal, P.O. Damthang, South Sikkim (Gangtok) a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 13-Damthang constituency, held in October, 1979, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Agarwal, to be disqualified for being chosen as, and for being, member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. 76/SKM-LA/13/80(1)]

का. आ. 512.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 13-डामथांग निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कुमार सुब्बा, पो. आ. नमची, सिक्किम (गंगटोक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुब्बा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. 76/सिक्किम वि. स./13/80 (2)]

S.O. 512.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kumar Subba, P.O. Namchi, Sikkim (Gangtok) a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 13-Damthang constituency, held in October, 1979, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Subba, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/SKM-LA/13/80(2)]

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1981

का. आ. 513.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 15-राटेयपानी-पश्चिम पेनडाम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पूर्ण बहादुर खाती, पुराना बाजार, पूर्वी सिक्किम (गंगटोक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा

स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पूर्ण बहादुर खाती को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. 76/सिक्किम वि. स./15/80]

New Delhi, the 17th January, 1981

S.O. 513.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Purna Bahadur Khati, Purano Bazar, East Sikkim, (Gangtok) a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 15-Rateypani-West Pendam Assembly constituency, held in October, 1979, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khati, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/SKM-LA/15/80]

का. आ. 514.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 13-डामथांग निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कालू राय, नामची, दक्षिण जिला, सिक्किम (गंगटोक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कालू राय को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. 76/सिक्किम वि. स./13/80]
आदेश से,
सी. एल. रोज, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

S.O. 514.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kalu Rai, Namchi, South District, Sikkim (Gangtok) a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 13-Damthang constituency, held in October, 1979, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kalu Rai, to be disqualified for being chosen as, and for being, member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/SKM-LA/13/80]

By order,

C. L. ROSE, Under Secy.
to the Election Commission of India.

आदेश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1981

का. आ. 515 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1980 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन के लिए 40-हरिहर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एच. एम. वीरया (वीरे शाह) सुपुत्र वीरा भादरया, हवाल्दा वेदी, हरिहर, कर्नाटका, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एच. एम. वीरया (वीरे शाह) को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. कर्नाटका-वि. स./40/80/(उप) (13)]
आदेश से,
वी. के. राव, अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

ORDER

New Delhi, the 13th January, 1981

S.O. 515.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri H. M. Veeraiah (Veeresha) S/o Shri Veerabhadraiah, Havalada Beedi, Harihar, Karnataka, a contesting candidate for the bye-election to the Karnataka Legislative Assembly held in 1980 from 40-Harihar Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said

Shri H. M. Veeraiah (Veeresha) to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/40/80(Bye)(13)]

By Order,

V. K. RAO, Under Secy.

to the Election Commission of India.

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1981

का. आ. 516 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 11-रालांग निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पासोंग ताशरिंग भूतिया, पो. आ. राबांग बाजार, सिक्किम (गंगटोक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भूतिया को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. सिक्किम-वि. स./11/80 (1)]

ORDERS

New Delhi, the 15th January, 1981

S.O. 516.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Passang Tshering Bhutia, P.O. Rabong Bazar, Sikkim a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 11-Ralang assembly constituency, held in October, 1979, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Passang Tshering Bhutia, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/SKM-LA/11/80(1)]

का. आ. 517 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि अक्तूबर, 1979 में हुए सिक्किम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 11-रालांग निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुक तशरिंग शेरपा, पो. आ. केबजिंग, सिक्किम (गंगटोक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस सफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शेरपा को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. सिक्किम वि. स./11/80 (2)]

आदेश से,

एस. सी. जैन, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

S.O. 517.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suk Tshering Sherpa, P.O. Kewzing, Sikkim a contesting candidate for general election to the Sikkim Legislative Assembly from 11-Ralang Assembly constituency, held in October, 1979, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sherpa, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a reason or justification for such failure;

[No. 76/SKM-LA/11/80(2)]

By Order,

S. C. JAIN, Under Secy.

to the Election Commission of India.

आदेश

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1981

का. आ. 518 .—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 13-फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोकल चन्द, गांव व पो. आ. निहाल खेरा, तहसील फाजिल्का, जिला फिरोजपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोकल चन्द को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा

विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-लो. स./13/80 (12)]

ORDERS

New Delhi, the 21st January, 1981

S.O. 518.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gokal Chand, Village & P.O. Nihal Khera, Tehsil Fazilka, District Ferozepur, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 13-Ferozepur **Parliamentary Constituency, has failed** to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gokal Chand to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of eithrr House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-HP/13/80(12)]

का. आ. 519.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 48-शाम चौरासी (अ. जा.) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुरबक्स राम, गांव थथाल, पो. आ. बसी गुलाम हुसैन, तहसील व जिला होशियारपुर (पंजाब), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुरबक्स राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. पंजाब-वि. स. 48/80(42)]

आदेश से,

आ. कृ. चटर्जी, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

S.O. 519.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gurbux Ram, Village Thathal, P.O. Bassi Ghulam Hussain, Tehsil & District-Hoshiarpur (Punjab), a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in May, 1980 from 48-Sham-Chaurasi (SC), constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gurbux Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/48/80(42)]

By order,

A. K. CHATTERJEE, Under Secy.

Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981